संख्या-04/2017/22 बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

पी. एन. त्रिपाठी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 ***लखनऊ: दिनाक: 27 मार्च, 2017***

विषय: बुन्देलखण्ड पेकेज के अर्न्तगत लघु सिचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2016-17 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष निम्नांकित 02 परियोजनओं की उनके सामने इंगित लागत के अनुसार, जिनका कुल योग रू. 64.50 करोड़ होता है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू 39.13 करोड़ (रूपये उन्तालिस करोड़ तेरह लाख मात्र) निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं और इनके लिए लघु सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, कार्यदायी संस्था होगीः-

(धनराशि करोड़ रू0 में)

	परियोजना की लागत	**अनुमोदित लागत**	**वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि**
1	पैकेज के प्रथम चरण में निर्मित ब्लास्ट/ डगवेल में लिफ्टिंग डिवाइस	28.34	17.19
2	एच.डी.पी.ई. पाइप का वितरण	36.16	21.94
	योग	**64.50**	**39.13**

1- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार,केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

2- परियोजनाओं की विशिष्टियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां का इस्तेमाल करना इत्यादि पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/ डाकघर/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध ढंग से बिलम्बतम 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण-रूपेण कर लिया जायेगा।

4- कार्य हेतु सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज़ नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

5- परियोजनान्तर्गत लाभार्थी को दी जानेवाली सामग्री/ उपकरण पर इसे बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत होने का तथ्य जन-साधारण की जानकारी हेतु अंकित किये जायेंगे।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व लघु सिंचाई विभाग का होगा और विभाग द्वारा तदनुसार नीति आयोग, भारत सरकार तथा नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

7- अवमुक्त धनराशि केसापेक्ष व्यय धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नीति आयोग, भारत सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

8- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अंतर्गत सुसगंत मदो के नामे डाला जायेगा। उक्त धनराशि लेखाशीर्ष-2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02पिछड़े क्षेत्र-800 अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-00-42-अन्य व्यय से आदेश संख्या: यूओ-03बीपी/35-1-2017, दिनाक 27 मार्च, 2017 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति की गयी है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-164(1)दस-2017, दिनांक: 23 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी. एन. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2017/ 22 बीपी(1)/35-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,लेखापरीक्षा,प्रथम एवं द्वितीय , इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव,लघु सिचाई विभाग।
4- प्रमुख सचिव,वित्त विभाग ।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
8- मुख्य विकास, अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट ।
10-गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
12-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पी. एन. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 04 /2017/ 22बीपी(1)/ 35-1-2017, दिनांक 27 मार्च, 2017 का संलग्नक।

	मद	अवमुक्त धनराशि (करोड रू में)	लेखाशीर्ष
1	पैकेज के प्रथम चरण में निर्मित ब्लास्ट/ डगवेल में लिफ्टिंग डिवाइस	17.19	2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र- 800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेषयोजनायें-26-फेज-1 में निर्मित ब्लास्ट/कूपों में लिफ्टिंग डिवाइस की स्थापना -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
2	एच.डी.पी.ई. पाइप का वितरण	21.94	2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र- 800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेषयोजनायें-27-एचडीपीई पाइप का वितरण -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
		39.13 (रूपये उन्तालिस करोड तेरह लाख मात्र)	

(पी. एन. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।